उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
"शक्ति भवन" 14-अशोक मार्ग
लखनऊ

संख्या-13-क्रीड़ा प्रकोष्ठ/पाकालि/2000-01क्रीड़ा/99 दिनांक : 24 मार्च, 2000

महत्वपूर्ण

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0,
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0,
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
4. निदेशक (वित्त),
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0,
5. निदेशक (वितरण)/(पारेषण)/(कारपोरेट प्लानिंग),
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, ।

विषय :- ऊर्जा क्षेत्र में नवसृजित निगमों द्वारा क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन ।

महोदय,

पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के अस्तित्वहीन होने एवं ऊर्जा क्षेत्र के संचालन हेतु दिनांक 14.1.2000 से तीन निगमों यथा उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन निगमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों निगमों को ऊर्जा क्षेत्र का अंग होने के कारण ऊर्जा क्षेत्र के समस्त क्रीड़ा स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व एवम् गतिविधियों का संचालन संयुक्त रूप से किया जाय :-

(1) उक्त निर्णय के फलस्वरूप पूर्व की भाँति समस्त क्षेत्रों/परियोजनाओं की क्रीड़ा गतिविधियाँ यथावत संचालित की जायेगी और इन्ही प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के उपरांत एक संयुक्त टीम गठित की जायेगी ।

(2) पूर्ववर्ती क्रीड़ा इकाई लखनऊ जिसमें टाण्डा परियोजना को भी सम्मिलित किया गया था, में अब केवल लखनऊ क्षेत्र होगा ।

(3) समस्त क्रीड़ा गतिविधियों से संबंधित आदेश, यथा संयुक्त टीम का अखिल भारतीय विद्युत परिषद प्रतियोगिताएं, पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व, टीम के प्रबन्धक/प्रशिक्षक तथा वित्तीय संबंधी समस्त आदेश पावर कार्पोरेशन लि0 स्थित पूर्व की भाँति क्रीड़ा प्रकोष्ठ, शक्ति भवन, लखनऊ से निर्गत किए जायेंगे ।

(4) अखिल भारतीय विद्युत परिषद/उ0प्र0 पब्लिक सेक्टर तथा अन्य वाह्य प्रतियोगिताओं में तीनों निगमों के खिलाड़ियों की एक संयुक्त टीम "उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर" के नाम से प्रतिनिधित्व करेगी ।

अतएव, समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धकगण को निदेशित किया जाता है कि पूर्व की भाँति क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन एवम् खिलाड़ियों का प्रतियोगिताओं में यथावश्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(भुवन चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)

....2

संख्या : 13 §1§-क्रीड़ा प्रकोष्ठ/2000-01-क्रीड़ा/99- तद्‌दिनांक : 24 मार्च, 2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

§1§ मुख्य महाप्रबन्धक §वितरण§/मध्यांचल, लखनऊ/ पश्चिमांचल, मेरठ/ पूर्वांचल, वाराणसी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§2§ मुख्य महाप्रबन्धक, ओबरा/हरदुआगंज/पारीछा/अनपरा/पनकी, जलविद्युत परियोजनायें, देहरादून, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/जलविद्युत निगम लि0।

§3§ मुख्य अभियंता §जल विद्युत§, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

§4§ महाप्रबन्धक, मेरठ/बरेली/वाराणसी/कानपुर/आगरा/लखनऊ/नैनीताल/देहरादून/गोरखपुर/इलाहाबाद/मुरादाबाद/झांसी/कैसा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

§5§ महाप्रबन्धक §औद्योगिक सम्बन्ध§, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§6§ मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§7§ समस्त उप महाप्रबन्धक, लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 जलविद्युत निगम लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ।

§8§ उपमुख्य लेखाधिकारी §इनटाइलमेन्ट§, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§9§ अनुसचिव, म0प्र0 §लेखा§, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§10§ लेखाधिकारी §वि नि एवं लेखा§, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड ।

§11§ समस्त क्रीड़ा सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ।

§12§ समस्त क्रीड़ा अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ।

§13§ समस्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक गण के निजी सचिव गण।

आज्ञा से,

§ भुवन चन्द्र पाण्डेय §
निदेशक §कार्मिक एवं प्रबन्धन§